"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2016— माघ 23, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी, 2016 (माघ 23, 1937)

अधिसूचना

क्रमांक 845/विस/स्था./2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (सेवा शर्तें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 तथा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्

संशोधन

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2015-61-00028 दिनांक 05-01-2016 के तहत प्राप्त स्वीकृति के फलस्वरूप अधिसूचना क्रमांक 9485/विस/स्था./2013 दिनांक 07-08-2013 के अंतिम पैरा में "उक्त संशोधन आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा" के स्थान पर दिनांक "1-4-2006 से लागू होगा," पढ़ा जाये.

आदेशानुसार

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.